संख्या-3/2018/397/एक-4-2018

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

(3) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:28 फरवरी,2018**

विषयः- राजस्व वादों के त्वरित/समयबद्ध/गुणवत्ता परक निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-274/एक-4-2018 दिनांक 09.02.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व वादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु शासन/परिषद स्तर से निरन्तर निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं, परन्तु लगातार प्रयासों के उपरान्त भी राजस्व वादों के निस्तारण में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राजस्व वादों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न हो पाने के कारण प्रभावित पक्षों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भी निरन्तर याचिकायें योजित की जा रही है। समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों की स्थिति तथा कार्यपद्धति पर असन्तोष व्यक्त किया गया है। अतः राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पूर्व में समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में राजस्व न्यायालयों के समस्त पीठासीन अधिकारियों हेतु एतद्द्वारा पुनः निम्नवत निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

1- उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह संशोधन नियमावली-2016 के अध्याय-44 के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक राजस्व न्यायालय में आनलाइन रजिस्टर अनुरक्षित किया जाये एवं उक्त रजिस्टर कलेण्डर वर्ष के अनुसार संचालित किया जाये तथा प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर आनलाइन वाद रजिस्टर को आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर अनुरक्षित करने के साथ ही उक्त का प्रिन्ट आउट निकालकर जिल्द बन्द रजिस्टर के रूप में सक्षम स्तर से प्रमाणित करने के पश्चात वर्षवार संरक्षित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- राजस्व वादों में न्यायालय स्तर से निर्गत की जाने वाली नोटिस की व्यक्तिगत तामीला सुनिश्चित कराने के साथ ही उसकी एक प्रति रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी सभी हितबद्ध पक्षों को प्रेषित की जाये।

3- पीठासीन अधिकारी द्वारा चकबन्दी वादों मे उभय पक्ष के मध्य होने वाले समझौते की विडियोग्राफी करायी जाये एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख को सुरक्षित रखा जाये।

4- यदि कोई वाद अदम पैरवी के आधार पर निस्तारित किया जाता है अथवा एक पक्षीय आधार पर निस्तारित किया जाता है तो उक्त आदेश के विरूद्ध पुनस्थापना प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दूसरे पक्ष (जिसके पक्ष में आदेश पारित हो चुका है) को समुचित सुनवाई एवं आपत्ति का पूर्ण अवसर देते हुए उभय पक्षों को सुनकर पुनरस्थापना प्रार्थना पत्र पर तीन माह के भीतर निस्तारण/निर्णय सुनिश्चित किया जाये।

5- यदि कोई पुनरस्थापना प्रार्थना पत्र परिसीमा अवधि के बाद प्राप्त होता है तो पुनरस्थापना प्रार्थना पत्र पर विचार करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम परिसीमा अवधि के मर्षण संबंधी प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाय व इस हेतु दूसरे पक्ष को आपत्ति का समुचित अवसर भी प्रदान किया जाय। यदि न्यायालय द्वारा परिसीमा अवधि के मर्षण हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तो उसका कारण भी अभिलिखित किया जाय।

6- पीठासीन अधिकारी अपने यहॉ लम्बित म्यूटेशन एवं डिमार्केशन के लम्बित वादों को प्राथमिकता के रूप में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के आधार पर प्रत्येक दशा में छः माह के अन्दर निस्तारित करें।

अतः एतद्द्वारा आपकों पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये । यदि किसी प्रकरण में यह पाया जाता है कि किसी पीठासीन अधिकारी की शिथिलता के कारण वाद के निस्तारण में अप्रत्याशित विलम्ब हुआ है तो न केवल उस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी अपितु उसके नियन्त्रक प्राधिकारी को भी शिथिल पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी माना जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।